



वायु कार्गो परिसर, कोयम्बदूर हवाई अड्डा।

दिनांक 01.12.2001 से गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो परिसर

टनधारिता और वार्षिक हैंडलिंग क्षमता -

वायु कार्गो टर्मिनल का कुल कवर क्षेत्र 3383 वर्ग मीटर है।

वार्षिक होल्डिंग क्षमता जिसमें पोतांतरण शामिल है, 31240 एमटी है।

2013-14 के दौरान संभाला गया टनेज 7112 एमटी है, (6115 एमटी डोमस्टिक कार्गो)

मूल्यवर्धित सेवाएँ -

वाक- इन- टाइप कूलर- 5 एमटी - सं०- 1.

मुख्य वस्तुएं- "अ"

निर्यात:- पोशाक, कपड़े, कल-पुर्जे, ढली हुई चीजें, उपकरण, फल, सब्जियां और आभूषण।

आयात:- पोशाक, सहायक उपकरण, सोने की छड, असंगी सामान, इलैक्ट्रॉनिक सामान, मशीनी कल-पुर्जे इत्यादि।

पूर्णयता सुसज्जित संयंत्र क्वारंटाइन कार्यालय ने नवम्बर 2013 में कार्य करना कर दिया है।

मै0 स्पाइस जेट और मै. जेट एयरवेज ने विशेषतः कार्गो प्रचालन के लिए कार्गो टर्मिनल के पास अपने कार्यालय खोल दिए हैं।

भाविप्रा ने घरेलू कार्गो का प्रचालन दिनांक 05.04.2013 से अन्तरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल के समीप समर्पित क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करना शुरू कर दिया है।

वायु कार्गो परिसर, तिरुचि हवाई अड्डा।

अवलोकन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो टर्मिनल 01-12-2011 से चालू है।

टनधारिता और वार्षिक हैंडलिंग क्षमता -

वायु कार्गो टर्मिनल का कुल कवर क्षेत्र 3943 वर्ग मीटर है।

वार्षिक हैंडलिंग क्षमता, जिसमें पोतांतरण भी शामिल है, 28993 एमटी है।

2013-14 के दौरान कुल संभाला गया टनेज 4751 एमटी है।

मूल्यवर्धित सेवाएँ-

1.5 एमटी का वाक-इन-टाइप कूलर खरीदने की निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

मुख्य वस्तुएं -

निर्यात - सब्जियाँ, फूल, फल, मछली, चमड़े की पोशाके, घरेलू पोशाके, घरेलू सामान इत्यादि।

आयात - वायुयान से संबंधित भंडार, कल-पुर्जे इत्यादि।

. आयात एवं निर्यात की अनुमति के लिए उपलब्ध समर्पित वायु कार्गो सीमा- शुल्क।

. संयंत्र क्वारंटाइन उपलब्ध।

. एक्स-रे जाँच।

. विनाशशील, भारी कीमती सामान, खतरनाक कार्गो शेड और भारोतोलन मापक के लिए सुविधाएँ उपलब्ध है।

वायु कार्गो परिसर, मेंगलौर हवाई अड्डा।

अवलोकन

. मार्च 2013 से प्रारंभ।

टनधारिता और वार्षिक हैंडलिंग क्षमता।

. कुल कवर क्षेत्र

अन्तरराष्ट्रीय कार्गो- 1400 वर्ग मीटर, एक समय में हैंडलिंग क्षमता - 140 एमटी।

राष्ट्रीय कार्गो - 1094 वर्ग मीटर, एक समय में हैंडलिंग क्षमता- 110 एमटी।

2013-14 के दौरान संभाला गया टनेज- 87 एमटी।

मूल्यवर्धित सेवाएं-

. मुख्य वस्तुएं-

. ताजा सब्जियां

. चिल्ड मछलियां

. ओमामेंटल मछलियां

. काजू

. फूल एवं मशीनी कल-पुर्जे।

वायु कार्गो परिसर, गुवाहटी हवाई अड्डा।

अवलोकन-

. अंतरिम कार्गो टर्मिनल सितम्बर 1999 से प्रारंभ हुआ।

टनधारिता और वार्षिक हैंडलिंग क्षमता:-

- . वायु कार्गो टर्मिनल का कुल कवर क्षेत्र 150 वर्ग मीटर है।
- . वार्षिक होल्डिंग क्षमता 3560 एमटी है, जिसमें पोतातरण भी शामिल है।
- . 2013-14 के दौरान संभाला गया टनेज 36 एमटी है।

मुख्यवर्धित सेवाएं -

- . मुख्य वस्तुएं- मोबाईल फोन, पोशाके, कांच के मोती, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इत्यादि।
- . एक वाक-इन- कूलर-2 एमटी।

वायु कार्गो परिसर , वीर सावरकर हवाई अड्डा।।

अवलोकन –

. अक्टूबर 2010 से प्रारंभ।

टनधारिता और वार्षिक हैंडलिंग क्षमता:-

- . वायु कार्गो टर्मिनल का कुल कवर क्षेत्र 945 वर्ग मीटर है।
- . वार्षिक होल्डिंग क्षमता 23116 एमटी है जिसमें पोतातरण भी शामिल है।
- . 2013-14 के दौरान संभाला गया टनेज: 2687 एमटी है। (घरेलू)

मुख्यवर्धित सेवाएं-

- . शीत भंडार उपलब्ध
- . मुख्य वस्तुएं-
आयात- इलेक्ट्रॉनिक, सब्जियां, कूरियर इत्यादि।
निर्यात- मछलियां, कूरियर, असंगी सामान।

वायु कार्गो परिसर, लखनऊ हवाई अड्डा।

अवलोकन-

. जुलाई 2000 से अंतरिम कार्गो टर्मिनल प्रारंभ, शीत भंडारण सुविधा उपलब्ध।

टनेज तथा वार्षिक हैंडलिंग क्षमता:-

- . वायु कार्गो टर्मिनल का कुल आरक्षित क्षेत्र 144 वर्गमीटर है।
- . पोतांतरण सहित वार्षिक हैंडलिंग क्षमता 4866 एमटी है।
- . 2013-14 के दौरान संभाला गया टनेज 1155 एमटी है।

मुख्यवर्धित सेवाएं-

- . 3 एमटी वाक-इन-टाइप कूलर – एक। 10 एमटी वाक-इन-टाइप कूलर के लिए खरीद प्रक्रिया जारी है।
- . मुख्य वस्तुएं-
निर्यात - ठण्डा मीट, फूल, कढ़ाई की पोशाकें।
आयात - विमान संयंत्र, रेडिमेड कपडे, असंगी सामान।

विमान कार्गो परिसर, जयपुर हवाई अड्डा।

अवलोकन-

24.07.2013 से अंतर्देशीय कार्गो सुविधा प्रारंभ।

टनेज तथा वार्षिक हैंडलिंग क्षमता।

- . वायु कार्गो टर्मिनल का कुल कवर क्षेत्र 1500 वर्गमीटर है। (स्टेरिल क्षेत्र- 400) वर्गमीटर है।
- . वार्षिक हैंडलिंग क्षमता----- है।
- . 2013-14 के दौरान संभाला गया टनेज 6480 एमटी है। (अंतर्देशीय)

मुख्यवर्धित सेवाएं-

- . एक्स-रे मशीन
- . भण्डारण स्थान
- . कार्गो दुपहिया ट्राली
- . श्रम शक्ति (वरि.प्रबंधक- 1, प्रबंधक- 1, प्रयवेक्षक- 1)
- . एयर लाइनो की संख्या- 2.(गोएयर, इंडिगो)

वायु कार्गो परिसर, गुरु रामदास जी हवाई अड्डा, अमृतसर।

अवलोकन-

टनेज व वार्षिक हैंडलिंग क्षमता-

- . एयर कार्गो टर्मिनल का कुल कवर क्षेत्र 2256 वर्गमीटर है।
- . पोतातरण सहित वार्षिक होल्डिंग क्षमता 60833 एमटी है।
- . 2013-14 को संभाला गया टनेज- 1486 एमटी है।

मूल्यवर्धित सेवाएं-

- . सीवीएचपी द्वारा व्यवस्थित शीत भण्डारण- 1131 वर्ग मीटर।
- . एक्स- रे मशीन उपलब्ध।
- . मुख्य वस्तुएँ-
निर्यात- तम्बाकू उत्पाद, आरएमजी, खेल सामग्री, अभियांत्रिकी सामग्री।
आयात- एयरलाइन भण्डारण, अभियांत्रिकी सामग्री, असंगी सामग्री, चिकित्सा उपस्कर।

टी एस पी और विलम्ब-शुल्क प्रभार का ब्यौरा

(नियम 05 देखें)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर कार्गो टर्मिनल पर कार्गो के आयात निर्यात पर लगने वाले टर्मिनल, भण्डारण व प्रक्रिया शुल्क तथा विलम्ब शुल्क का ब्यौरा, चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डे को छोड़कर जहां आईआरए (AERA) द्वारा अनुमोदित शुल्क जोकि 31.03.2016 तक लागू हैं, तथा जो संसोधन प्रक्रिया के अधीन हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई अड्डों पर प्रभार

ए - निर्यात कार्गो

(i) टर्मिनल, भण्डारण व प्रक्रिया प्रभार:-

क्र.	कार्गो का प्रकार	अनुमोदित प्रभार का आदेश सं. 11/2010-11 दिनांक 05/01/2011 प्रति किलोग्राम के हिसाब से दर Rs/p	प्रत्येक प्रेषण के हिसाब से दर Rs/p
1.	सामान्य	0.74	125.00
2.	विशेष	1.47	245.00
3.	खराब होने वाले (विनाशशील)	0.74	125.00

(ii) विलम्ब शुल्क (जोकि शिपर (पोतवणिक) द्वारा लगाया गया है।)

क्र.	कार्गो का प्रकार	अनुमोदित प्रभार का आदेश सं. प्रति किलोग्राम के हिसाब से दर Rs/p	प्रत्येक प्रेषण के हिसाब से दर Rs/p
1.	सामान्य	0.76	125.00
2.	विशेष	1.50	245.00
3.	खराब होने वाले (विनाशशील)	0.76	125.00

टिप्पणी (निर्यात कार्गो)

1. प्रेषक द्वारा निर्यात कार्गो के निरीक्षण/प्रक्रिया के लिए निशुल्क अवधि एक कार्यदिवस (24 घण्टे) है।
2. जो निर्यातक, टक गोदी (डीओसीके) से अपने माल को उतारने व सीमा-शुल्क (कस्टम) निरीक्षण क्षेत्र में ले जाने का प्रबन्ध स्वयं करते हैं उन्हे टर्मिनल, भंडारण एवं प्रक्रिया (टीएसपी)शुल्क में 10% की छूट दी जायेगी।
3. अखबार व टीबी रील के प्रेषण में निर्धारित टर्मिनल, भंडारण एवं प्रक्रिया शुल्क का 5% मान्य होगा।
4. बचे हुए मानव अवशेष, ताबूत जिसमें मरे हुए व्यक्ति का सामान शामिल है तथा मानव आंखों का टर्मिनल, भंडारण एवं प्रक्रिया शुल्क के कार्यक्षेत्र से छुट प्राप्त होगी।
5. टर्मिनल, भंडारण एवं प्रक्रिया शुल्क में फॉकलिफ्ट शुल्क शामिल है। अलग से फॉकलिफ्ट शुल्क नहीं लिया जायेगा।
6. विशेष कार्गो से अभिप्रायः जीवित जानवर, खतरनाक सामान तथा कीमती कार्गो से हैं।
7. भेजे हुए माल के कुल वजन या प्रमाय वजन जो प्रभाय भी ज्यादा होगा, पर शुल्क लिया जायेगा। जहां भी बिल पर कुल वजन या आयतन वजन गलत पाया गया और वजन ज्यादा पाया गया तो वास्तविक कुल वजन या वास्तविक आयतन वजन जो भी ज्यादा होगा, पर प्रभार वसूला जाएगा।
8. घोषित वजन के 2% से 5% तक गलत पाने पर अन्तरीय वजन पर जुर्माना शुल्क लागू टर्मिनल, भंडारण और प्रक्रिया शुल्क से दो गुणा वसूला जायेगा और जहां अंतर 5% से ज्यादा है वहा पर जुर्माना शुल्क लागू शुल्क से 5 गुणा वसूला जायेगा। बशर्ते 2% तक अंतर आने पर जुर्माना शुल्क नहीं लगाया जायेगा। यह कीमती कार्गो पर लागू नहीं होगा।
9. सभी बिल आईएटीए (आईएटीए) टैक्स नियम बुक खंड 5.7.2 के अनुसार 05 रुपये के पूर्णांक तक बनाए जाएगे। पूर्णांक के लिये पूर्णांक की इकाई 05 है।

जब गणना क परिणाम इनके बीच में हो	पूर्णांक मूल्य होगा
102.5 - 107.4	105
107.5 - 112.4	110

10. व्यापार को बढ़ावा देने व खाली समय का उपयोग करने के लिए 1000 बजे से 1500 बजे तक दर्ज निर्यात कार्गो पर टर्मिनल, भण्डारण एवं प्रक्रिया शुल्क पर 20% की छूट दी जायेगी, बशर्ते सारणी में दर्शाये गए प्रभार के अनुसार प्रत्येक माल पर निम्नतम दर से प्रभार वसूला जाएगा।

11. सामान्य कार्य समय के अतिरिक्त कार्गो दर्ज कराने पर प्रत्येक माल पर 200 रुपये व्यापारिक समयोपरि भत्ता वसूला जाएगा।

आयात कार्गो

(1)

मिनिमल भण्डारण और प्रक्रिया शुल्क -

क्रम सं.	कार्गो का प्रकार	आदेश संख्या 11/2010-11 05.01.2011 के अनुसार अनुमोदित प्रभार	
		दर प्रति किलो के हिसाब से	निम्नतम दर प्रत्येक प्रेषण के हिसाब से।
1.	सामान्य	4.96	135.00
2.	विशेष और कीमती	9.89	265.00

(ii) **विलम्ब शुल्क-**

आयातित कार्गो पर निशुल्क भण्डारण अवधि 72 घंटे की होगी (तीन कार्य दिवस) जिसमें फ्लाइट के आगमन की तिथि शामिल है। अगले 48 घंटों के लिए (दो कार्य दिवस) विलम्ब शुल्क "प्रति किलो-प्रति दिन" असंचित आधार पर वसुला जाएगा बशर्ते माल 120 घंटों में निष्कासित हो जाए। (पांच कार्य दिवस) या 120 घंटों में भी निष्कासित ना होने पर विलम्ब शुल्क फ्लाइट के आगमन तिथि तथा समय से पूरी अवधि के लिए निम्न प्रकार से वसुला जायेगा:-

क्रम सं.	कार्गो का प्रकार	अवधि	आदेश संख्या 11/2010-11 05.01.2011 के अनुसार अनुमोदित प्रभार	
			प्रति दिन प्रति किलो के हिसाब से (₹0)	प्रत्येक माल के लिए न्यूनतम दर (₹0)
1.	सामान्य कार्गो	120 घंटों तक (5 कार्य दिवस) जिसमें फ्री पीरियड शामिल है।	1.44	325.00
		120 घंटों से 720 घंटों के बीच (6 से 30 दिन तक)	2.87	
		720 घंटों से ज्यादा (30 दिन)	4.31	
2.	विशेष कार्गो	120 घंटों तक (5 कार्य दिवस) जिसमें फ्री पीरियड शामिल है।	2.87	640.00
		120 घंटों से 720 घंटों के बीच (6 से 30 दिन तक)	5.73	
		720 घंटों से ज्यादा (30 दिन)	8.60	
3.	कीमती कार्गो	120 घंटों तक (5 कार्य दिवस) जिसमें फ्री पीरियड शामिल है।	5.73	1280.00
		120 घंटों से 720 घंटों के बीच (6 से 30 दिन तक)	11.47	
		720 घंटों से ज्यादा (30 दिन)	17.20	

नोट (आयात कार्गो) :

1. मानव अवशेष, ताबूत जिसमें मरे हुए व्यक्ति का सामान शामिल है तथा मानव आँखों को टर्मिनल, भण्डारण एवं प्रक्रिया शुल्क तथा विलम्ब शुल्क से छूट प्राप्त है।

2. फोर्कलिफ्ट प्रभार अलग से नहीं वसूला जाएगा ।

3. माल के कुल वजन या प्रभारीय वजन, जो भी ज्यादा होगा, उस पर शुल्क वसूला जायेगा। जहां भी, बिल में कुल वजन या आयतित वजन गलत दर्शाया पाया गया तथा वास्तव में वजन ज्यादा पाया गया,वहाँ वास्तविक कुल वजन, या वास्तविक आयतित वजन या प्रभारीय वजन में से जो भी ज्यादा होगा,उस पर शुल्क वसूला जायेगा।

4. विशेष कार्गो में शीतागार में रखा हुआ माल,जीवित जानवर तथा खतरनाक माल शामिल है।

5. कीमती कार्गो में सोना,सर्पाफा,नोट,प्रतिभूतियाँ,शेयर,शेयर कूपन,ट्रैवलर चैक,हीरे(जिसमें कारखानों में प्रयोग होने वाला हीरा शामिल है) हीरे के आभूषण,आभूषण व चाँदी,सोने- चाँदी की प्लैटिनम घडियाँ तथा सामान जिसकी कीमत 1000 अमेरिकी डालर प्रति किलोग्राम या इससे ज्यादा है, शामिल है।

6. सभी बिल आइएटीए(IATA) टैक्ट नियम बुक खंड 5.7.2 के अनुसार 5 रूपये के पूर्णांक तक बनाए जाएंगे। पूर्णांक की प्रक्रिया के लिए पूर्णांक की इकाई 5 है।

डिस्क्लेमर

नोटिस

इस साइट पर उपलब्ध सूचनाएँ पूरी तरह से जन सुविधाओं के मद्देनजर दी जा रही हैं, जो कि सरकारी अनिवार्यताओं और विनियमों में बदलाव के तहत नियमित समीक्षा और/अथवा बिना किसी उचित व्यावसायिक सलाह के शर्तों के अधीन हैं। हालांकि प्रत्येक प्रयास यथार्थता सुनिश्चित करते हुए किया गया है, यदि असावधानीवश वेब पेज पर दर्शाया गया कोई डाटा अशुद्ध पाया जाता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके लिए उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, तथा इस संबंध में किसी प्रकार का कोई दावा विचारणीय नहीं होगा।

इस वेबसाइट पर दर्शाई गई सूचना के किसी भाग का किसी भी रूप में इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक माध्यम से फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या किसी सूचना का संग्रहण, रक्षण हेतु, पुनरोत्पादन, रूपान्तरण, सुधार, अथवा प्रसारण निम्नलिखित अधिकारी की बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जा सकेगा;

महाप्रबंधक (कार्गो)-मुख्य-कार्गो निदेशालय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

निगमित मुख्यालय

सफदरजंग हवाई अड्डा, राजीव गांधी भवन

नई दिल्ली-110003

भारत

फोन. 011-24657919

फैक्स . 011-24657929